

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
सं०-4/निदे० आवा० वि०/छात्रा(नि०म०)01-10-20/2016- 74

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी
बिहार।

पटना-15, दिनांक- 25.04.18

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के अनुरक्षण, मरम्मत एवं वार्षिक रख-रखाव हेतु प्रति विद्यालय ₹5.00 लाख (पाँच लाख रु०) के दर से अनुसूचित जाति के 65 आवासीय विद्यालयों के लिए ₹325.00 लाख (तीन करोड़ पचीस लाख रु०) एवं अनुसूचित जनजाति के 15 आवासीय विद्यालयों के लिए ₹75.00 लाख (पचहत्तर लाख रु०) अर्थात् कुल ₹400.00 लाख (चार करोड़ रु०) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के अनुरक्षण, मरम्मत एवं वार्षिक रख-रखाव हेतु प्रति विद्यालय ₹5.00 लाख (पाँच लाख रु०) के दर से अनुसूचित जाति के 65 आवासीय विद्यालयों के लिए ₹325.00 लाख (तीन करोड़ पचीस लाख रु०) एवं अनुसूचित जनजाति के 15 आवासीय विद्यालयों के लिए ₹75.00 लाख (पचहत्तर लाख रु०) अर्थात् कुल ₹400.00 लाख (चार करोड़ रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति पत्रांक-02 दिनांक-16.04.2018 द्वारा दी गई है। तदनुसार संलग्न विवरणी-1 एवं 2 के अनुसार सम्पूर्ण स्वीकृति राशि आवंटित की जाती है।

2- (i) अनुसूचित जाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उप मुख्यशीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0003-आवासीय विद्यालय-विषय शीर्ष-0003.27.02-अनुरक्षण एवं मरम्मत-मांग संख्या-44-विपत्र कोड संख्या-44-2225012770003 के अन्तर्गत विकलनीय है।

(ii) अनुसूचित जनजाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उप मुख्यशीर्ष-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0004-आवासीय विद्यालय-विषय शीर्ष-0004.27.02-अनुरक्षण एवं मरम्मत-मांग संख्या-44-विपत्र कोड संख्या-44-2225022770004 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3- आवासीय विद्यालयों के अनुरक्षण, मरम्मत एवं वार्षिक रख-रखाव के लिए निर्गत सामान्य अनुदेश संख्या-2148 दिनांक-22.08.2017 के आलोक में योजना की लागत की समीक्षा एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राधिकार निम्नवत् होंगे:-

क्रमांक	योजना की लागत	समीक्षा प्राधिकार	प्रशासनिक स्वीकृति प्राधिकार
1	₹1,00,000/-तक	संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक	जिला कल्याण पदाधिकारी
2	₹1,00,001/- से ₹5,00,000/-तक	जिला कल्याण पदाधिकारी	उप विकास आयुक्त

Dr

4- इस आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे। विभागीय अनुदेश संख्या-2148 दिनांक-22.08.2017 द्वारा निर्गत अनुदेशों का अनुपालन करते हुए राशि व्यय की जाएगी तथा किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

5- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र सं0-2561 दिनांक 17-4-98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

6- महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा। साथ ही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

7- राशि की समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे तथा वे राशि के व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध करार्येंगे।

8- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार) 25/11/18
निदेशक

ज्ञापक- सं0-4/निदे0 आवा0 वि0/छात्रा(नि0म0)01-10-20/2016- 04 पटना, दिनांक- 25.04.18
प्रतिलिपि:- (1) महालेखाकार, बिहार, बीरचंद पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) (i) निदेशक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/संयुक्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/उप निदेशक (मु0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/आई0 टी0 मैनेजर, संबंधित प्रशाखा पदा0, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ii) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण/सभी संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(18/11/18)

निदेशक 25/11/18

विवरणी-1

अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों के अनुरक्षण, मरम्मत एवं वार्षिक रख-रखाव हेतु प्रति विद्यालय ₹5.00 लाख(पाँच लाख रु0) का आवंटन

राशि लाख में

क्रमांक	जिला	विद्यालय का नाम	आवंटित राशि
1	2	3	4
1	नालंदा	+2 आ0उ0विद्यालय,मुढारी हरनौत	5.00
2	नालंदा	+2 बालिका0उ0विद्यालय,राजगीर	5.00
3	रोहतास	+2 आ0उ0विद्यालय,सासाराम	5.00
4	रोहतास	+2 बालिका उच्च वि0, मोकर, सासाराम	5.00
5	पटना	+2 आ0उ0विद्यालय,पुनपुन	5.00
6	पटना	+2 आ0उ0विद्यालय,पिपलौवां	5.00
7	पटना	+2 बालिका0उ0विद्यालय,गायघाट, पटना	5.00
8	भोजपुर	+2 आ0उ0विद्यालय,मौलाबाग	5.00
9	भोजपुर	+2 बालिका0उ0विद्यालय,आरा	5.00
10	भभुआ	+2 आ0उ0विद्यालय,कुदरा	5.00
11	भभुआ	+2 आ0उ0विद्यालय,भभुआ	5.00
12	बक्सर	+2 आ0उ0विद्यालय,बक्सर	5.00
13	सीतामढी	+2 आ0उ0विद्यालय,राघोपुर,बखरी	5.00
14	पु0 चम्पारण	+2 आ0उ0विद्यालय,सुगौव	5.00
15	प0 चम्पारण	+2 आ0उ0विद्यालय,मेडरौल	5.00
16	प0 चम्पारण	+2 आ0उ0विद्यालय,चौतरवा	5.00
17	हाजीपुर	+2 बालिका0उ0विद्यालय,हाजीपुर	5.00
18	मुजफ्फरपुर	+2 आ0उ0विद्यालय,पोखरैरा	5.00
19	मुजफ्फरपुर	+2 बालिका0उ0विद्यालय,राजवाडा	5.00
20	मुजफ्फरपुर	+2 बा0वि0,मुरील,मुजफ्फरपुर	5.00
21	मुजफ्फरपुर	+2 बा0वि0,बोचहा,मुजफ्फरपुर	5.00
22	गोपालगंज	+2 आ0उ0विद्यालय,हथुआ	5.00
23	सारण	+2 आ0उ0विद्यालय,रामचक	5.00
24	अररिया	+2 आ0उ0विद्यालय,फारबिसगंज	5.00
25	पुर्णियां	+2 आ0उ0विद्यालय,जानकीनगर	5.00
26	किशनगंज	+2 आ0उ0विद्यालय,किशनगंज	5.00
27	कटिहार	+2 आ0उ0विद्यालय,सोनैली	5.00
28	मुंगेर	+2 बालिका0उ0विद्यालय,मुंगेर	5.00
29	बेगुसराय	+2 आ0उ0विद्यालय,भर्सा	5.00
30	खगडिया	+2 आ0उ0विद्यालय,अलौली	5.00
31	गया	+2 आ0उ0विद्यालय,मटिहानी	5.00
32	गया	+2 आ0उ0विद्यालय,मनफर	5.00
33	गया	+2 आ0उ0विद्यालय,शेरघाटी	5.00
34	गया	+2 आ0 उ0 विद्यालय, तपोवन	5.00
35	गया	+2 आ0 बा0वि0,डुमरिया, गया	5.00
36	गया	+2 आ0बा0वि0,मानपुर, गया	5.00
37	गया	+2 आ0बा0वि0,इमामगंज, गया	5.00
38	गया	+2 आ0बा0वि0,आमस, गया	5.00
39	गया	+2 आ0बा0वि0,मोहनपुर, गया	5.00
40	गया	+2 आ0 बा0वि0,फतेहपुर, गया	5.00
41	गया	+2 आ0 बा0वि0, गुरूआ, गया	5.00

Samy

Am

क्रमांक	जिला	विद्यालय का नाम	आवृत्त राशि
1	2	3	4
42	गया	+2 आ० बा० वि०, वजीरगंज गया	5.00
43	गया	+2 आ० बा० वि०, गया टाउन	5.00
44	नवादा	+2 आ० बालिका उ० विद्यालय, नवादा	5.00
45	नवादा	+2 आ० बा० वि०, सिरदल्ला, नवादा	5.00
46	नवादा	+2 अनु० जाति आवा० बालक उ० विद्यालय, रजौली, नवादा।	5.00
47	सहरसा	+2 आ० उ० विद्यालय, अमरपुर	5.00
48	समस्तीपुर	+2 आ० उ० विद्यालय, रोसडा	5.00
49	समस्तीपुर	+2 अनु० जाति आवा० बालिका उ० विद्यालय, समस्तीपुर।	5.00
50	मधुबनी	+2 आ० उ० विद्यालय, रामनगर	5.00
51	मधुबनी	+2 आ० उ० विद्यालय, बलिराजपुर	5.00
52	मधुबनी	+2 बालिका उ० विद्यालय, मधुबनी	5.00
53	भागलपुर	+2 आ० उ० विद्यालय, कंपनीबाग	5.00
54	जहानाबाद	+2 अनु० जाति आवा० बालिका उ० विद्यालय, जहानाबाद।	5.00
55	अरवल	+2 अनु० जाति आवा० बालिका उ० विद्यालय, अरवल	5.00
56	औरंगाबाद	+2 अनु० जाति आवा० बालिका उ० विद्यालय, औरंगाबाद	5.00
57	सीवान	+2 अनु० जाति आवा० बालिका उ० विद्यालय, सीवान	5.00
58	शिवहर	+2 अनु० जाति आवा० बालिका उ० विद्यालय, शिवहर।	5.00
59	दरभंगा	+2 अनु० जाति आवा० बालिका उ० विद्यालय, दरभंगा।	5.00
60	सुपौल	+2 अनु० जाति आवा० बालिका उ० विद्यालय, सुपौल।	5.00
61	मधेपुरा	+2 अनु० जाति आवा० बालिका उ० विद्यालय, मधेपुरा।	5.00
62	लखीसराय	+2 अनु० जाति आवा० बालिका उ० विद्यालय, लखीसराय।	5.00
63	शेखपुरा	+2 अनु० जाति आवा० बालिका उ० विद्यालय, शेखपुरा।	5.00
64	जमुई	+2 अनु० जाति आवा० बालिका उ० विद्यालय, जमुई।	5.00
65	बांका	+2 अनु० जाति आवा० बालिका उ० विद्यालय, बांका।	5.00
		कुल	325.00

कुल राशि तीन करोड़ पचीस लाख रू०

पत्रांक ०५ दिनांक २५.०५.१९८१ अनुलग्नक।

K. M. M.

K. M. M.
निदेशक।

विवरणी-2

अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के अनुरक्षण, मरम्मत एवं वार्षिक रख-रखाव हेतु प्रति विद्यालय ₹5.00 लाख(पाँच लाख रू०) का आवंटन

राशि लाख में

क्रमांक	जिला	विद्यालय का नाम	आवंटित राशि
1	2	3	4
1	रोहतास	+2 आदिवासी आवा० बालक उच्च वि०, सोली	5.00
2	रोहतास	+2 आदिवासी आवा० बालक मध्य वि०, नागाटोली	5.00
3	रोहतास	+2 आदिवासी आवा० बालक मध्य वि०, बुधुआ	5.00
4	भभुआ	+2 आदिवासी आवा० बालक उच्च वि०, देवरी	5.00
5	भभुआ	+2 आदिवासी आवा० बालक उच्च वि०, बड़गँव	5.00
6	भभुआ	+2 आदिवासी आवा० बालक मध्य वि०, आथन	5.00
7	भभुआ	+2 आदिवासी आवा० बालक मध्य वि०, कोल्हुआ	5.00
8	भभुआ	+2 आदिवासी आवा० बालक मध्य वि०, सड़की	5.00
9	भभुआ	+2 आदिवासी आवा० बालक मध्य वि०, सेमरा	5.00
10	भभुआ	+2 आदिवासी आवा० बालक मध्य वि०, मसानी	5.00
11	प० चम्पारण	+2 आदि० आवा० उच्च विद्यालय, सिधौव	5.00
12	कटिहार	+2 आदिवासी आवा० बालक उच्च वि०, कुमारीपुर, नीमा	5.00
13	पुर्णियां	+2 आदिवासी आवा० बालक उच्च वि०, बनमनखी	5.00
14	पुर्णियां	+2 आदिवासी आवा० बालक उच्च वि०, मुगलिया, पुरनदाहा	5.00
15	जमुई	+2 आदिवासी आवा० उच्च विद्यालय, बामदह	5.00
		कुल	75.00

कुल राशि पचहत्तर लाख रू०

पत्रांक 04 दिनांक 25.04.18 का अनुलग्नक ।

10/11/18

निदेशक
25/4/18